

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद(म.प्र.)

आदेश

क्रमांक ³⁸⁹/तीन-13-3/98

होशंगाबाद, दिनांक 22.12.20

विभागीय प्रशासनिक समिति के प्रतिवेदन दिनांक 18.12.2020 की अनुशंसा का अनुमोदन कर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ.-11-1/2008/नि.-चार, दिनांक 24.01.2008 एवं आदेश क्रमांक एफ. 11/17/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के अनुसार इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को नियुक्ति दिनांक से 10वर्ष/20वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप देय प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

तृतीय श्रेणी शासकीय सेवक


क.	कर्मचारी का नाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक	प्रथम समयमान की पात्रता दिनांक	द्वितीय समयमान की पात्रता दिनांक	तृतीय समयमान की पात्रता दिनांक
01	श्रीमती सरिता भट्ट, सहा.ग्रेड-दो	15.01.2000	15.01.2020	
02	श्री धर्मदास कोरी, सहा.ग्रेड-तीन	12.05.2010	12.05.2020	
03	श्री सुरेश तिवारी, सहा.ग्रेड-तीन	24.07.2010	24.07.2020	
04	श्री पुष्प कुमार सोनी, सहा.ग्रेड-तीन	12.08.2010	12.08.2020	
05	श्रीमती किरण यादव, सहा.ग्रेड-तीन	14.09.2010	14.09.2020	
06	श्री विनोद कुमार बामने, सहा. ग्रेड-तीन	15.09.2010	15.09.2020	
07	श्रीमती हेमलता वर्मा, सहा.ग्रे-तीन	23.12.2010	23.12.2020	
08	श्री मुकेश कुमार नायर, सहा.ग्रे-तीन	12.10.2010	12.10.2020	
09	श्रीमती पायल नावड़ा, सहा.ग्रे-तीन	14.09.2010	14.09.2020	

चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक (भृत्य)

क.	कर्मचारी का नाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक	प्रथम समयमान की पात्रता दिनांक	द्वितीय समयमान की पात्रता दिनांक	तृतीय समयमान की पात्रता दिनांक
01	श्री सुरेश कुमार कार्स्दे, भृत्य	26.09.2009	26.09.2019	

टीप : (1) आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अंदर संबंधित शासकीय सेवक को समयमान वेतनमान का वेतन निर्धारण हेतु विकल्प (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(2) आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय की बेवसाइट (<https://districts.ecourts.gov.in/hoshangabad>) पर उपलब्ध रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी निर्देशानुसार पृथक से/डॉक से आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने की प्रतीक्षा न की जावे।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)


पृ. क्रमांक 1785/तीन-13-3/98

होशंगाबाद, दिनांक 22.12.2020

आदेशानुसार प्रतिलिपि :

24

- ✓ (1)– प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद
- (2)– प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि अनुभाग, पिपरिया
- (3)– प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, सोहागपुर
- (4)– प्रथम/द्वितीय/अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, होशंगाबाद
- (5)– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद
- (6)– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, पिपरिया के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, पिपरिया
- (7)– द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, इटारसी
- (8)– लेखापाल/देयक लिपिक/ओ.एम. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट
✓ होशंगाबाद(म.प्र.)